Haryana Assembly Question No.1655

***1655: Sh. Neeraj Sharma, M.L.A: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-**

a) Whether the registration and mutation of houses within 100 meter outside Municipal Corporation Area of NIT Faridabad Assembly Constituency has been banned by the Hon'ble High Court; if not, the orders under which the process of registration and mutation of houses in above said area has been banned by the Government; and
b) the time by which the said process of registration and mutation of houses in above said area is likely to started together with the details thereof ?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

a) Yes, Sir. Gazette Notification of India, Ministry of Defence dated 13.01.2010 was published to impose restrictions upon the land in the vicinity of Air Force Stations and installations that such land shall be kept free from buildings and other obstructions and directed that no building or structures shall be constructed or erected or no tree shall be planted on any land within 100 meters from the outer parapet of Indian Air Force Stations. In compliance of the above notification dated 13.01.2010 a public notice dated 10.02.2011 was issued by the District Collector, Faridabad exercising the power under sub-section (f) of section 2 and sub section (2) of section 3 of the Indian Works of Defence Act, 1903 for concerned land owners located within 100 meters vide restricted belt around Dabua Air Force Station Faridabad that no building or structures shall be constructed or erected or no tree shall be planted within 100 meters. In the meantime, CWP No. 15171 of 2010 titled as Suresh Kumar Goyal V/s Union of India and others was filed in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court, Chandigarh and orders were passed by the Hon'ble High Court regarding stopping of illegal construction around the Air Force Station Faridabad and steps taken by the authorities in this regard. Status reports regarding steps taken to curb the unauthorized construction were filed in the Hon'ble High Court by the District Magistrate, Faridabad.

   In view of the Gazette Notification of India, Ministry of Defence dated 13.01.2010 and public notice dated 10.02.2011 and Hon'ble High Court orders, several steps were taken to curb the illegal construction around the 100 meters restricted belt of Air Force Station Faridabad. Out of which one step was to stop the sale deeds and not to enter the mutation around the 100 meters restricted belt of the Air Force Station Faridabad. In this regard, directions to concerned Sub-Registrar vide memo no. LFA/2011/500 dated 04.04.2012 and memo no. LFA/2013/1355, dated 01.10.2013 were issued by the Deputy Commissioner, Faridabad.

(b) The matter is sub-judice and the next date in said writ petition is fixed for 11.03.2022 in the Hon'ble High Court. Further action will be taken after the decision of the said writ petition.

हरियाणा विधान सभा प्र न संख्या 1655

1655. श्री नीरज भार्मा, एम0एल0ए0 : क्या उप–मुख्यमन्त्री कृपया बताएंगे कि–

(क) एन.आई.टी. फरीदाबाद विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र के बाहर 100 मीटर में मकानों के पंजीकरण तथा इंतकाल पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है; यदि नहीं, तो किन आदे ाों के अधीन सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में घरों के पंजीकरण तथा इंतकाल की प्रक्रिया प्रतिबंधित की है;

(ख) उपरोक्त क्षेत्र में घरों का पंजीकरण तथा इंतकाल की उक्त प्रक्रिया कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है तथा इसका ब्यौरा क्या है?

दुश्यन्त चौटाला, उप मुख्य मन्त्री, हरियाणा

(क) हां, श्रीमान जी, भारत का राजपत्र अधिसूचना, रक्षा मन्त्रालय दिनांक 13.01.2010 को वायुसेना स्टे ानों और प्रतिश्ठानों के आस–पास की भूमि पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रकाि ात किया गया था कि ऐसी भूमि को ईमारतों और अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा और संरचना नहीं होगी। भारतीय वायु सेना स्टे ानों के बाहरी रेलिंग के 100 मीटर के अन्दर किसी भी भूमि पर निर्माण नहीं किया जाएगा और कोई पेड़ नही लगाया जाएगा। उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 13.1.2010 की अनुपालना में भारतीय रक्षा सकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 2 की उपधारा (एफ) और धारा 3 की उपधारा (2) के तहत भाक्ति का प्रयोग करते हुये जिला कलैक्टर, फरीदाबाद द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस दिनांक 10.02.2011 जारी किया गया था। अधिनियम, 1903 के तहत डबुआ वायु सेना स्टे ान फरीदाबाद के चारों ओर प्रतिबन्धित बैल्ट के अन्दर 100 मीटर के भीतर स्थित सम्बन्धित भूमि मालिकों के लिए 100 मीटर में कोई भी भवन या सरंचना का निर्माण या निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके बाद माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में एक सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 15171 ऑफ 2010 सुरे ा कुमार गोयल बनाम भारत सरकार और अन्य दायर की गई थी। वायु सेना स्टे ान के आस–पास अवैध निर्माण को रोकने और इससे सम्बन्ध अधिकारियों द्वारा उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदे ा पारित किये गये थे। अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में स्थिति रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में जिला अधिकारी, फरीदाबाद द्वारा की गई थी। भारत की राजपत्र अधिसूचना, रक्षा मन्त्रालय दिनांक 13.01.2010 और सार्वजनिक सूचना दिनांक 10.02.2011 और माननीय उच्च न्यायालय के आदे ाों के मध्यनजर, वायु सेना स्टे ान के 100 मीटर प्रतिबन्धित बैल्ट के आस–पास अवैध निर्माण को रोकने के लिए कई कदम उठाये गये थे। ऐसा ही एक कदम बिक्री विलेखों तथा इन्तकालों के इन्द्राज को रोकना था और वायु सेना स्टे ान फरीदाबाद के 100 मीटर प्रतिबन्धित बैल्ट के आस–पास उत्परिवर्तन में प्रवे ा नहीं करना था। इस सम्बन्ध में उप–पंजीयक/तहसीलदार फरीदाबाद को यादी क्रमांक एल.एल.एफ./2011/500 दिनांक 04.04.2012 और यादी क्रमांक एल. एल.एफ./2013/1355, दिनांक 01.10.2013 कार्यालय उपायुक्त, फरीदाबाद द्वारा निर्दे ा जारी किये गये थे।

(ख) उपरोक्त मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त याचिका में अगली तिथि 11.03.2022 निर्धारित की गई है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही तदानुसार आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।